(9)

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू मुकदमा नम्बर :118 / 2014 उनवान महावीर बनाम रामकरण वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी
06.06.2018	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पाया कि प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र की बहस हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी बहस हेतु अवसर चाहा रहे है। जो न्यायहित मे पूर्व मे प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी बहस नही करने पर न्यायालय मत पर दोनो पक्षों को ता: फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी को प्रार्थना–पत्र मे वर्णित भूमि बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता: फैसला दावा हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो। (अशोक बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू	

Scanned by CamScanner